



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ५०) काठमाडौं, असार १९ गते २०५७ साल (संख्या १२)

भाग ३

श्री ५ को सरकार
गृह मन्त्रालयको सूचना

प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०५७

प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रहरी ऐन, २०१२ को बफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको नाम "प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०५७" रहेको छ ।
(२) यो नियमावलीको नियम ३ विक्रम सम्वत् २०५२ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ र अन्य नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।
२. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १६ मा संशोधन : प्रहरी नियमावली, २०४९ (यसपछि "मूल नियमावली" भनिएको) को नियम १६ को उपनियम (३) मा रहेका "४५" भन्ने अङ्कहरूको सट्टा "३५" भन्ने अङ्कहरू राखिएका छन् ।
३. मूल नियमावलीको नियम १०२ मा संशोधन : मूल नियमावलीको नियम १०२ को उपनियम (१) को सट्टा देहायको उपनियम (१) राखिएको छ :-

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

“(१) बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदका निवृत्त प्रहरी कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ र निवृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको तलब स्केलको शुरु अङ्कको आधाभन्दा कम र अधिकतम रकम समान पदको बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको तलबको शुरु स्केल भन्दा बढी हुने छैन।”

४. मूल नियमावलीको नियम १०३ मा संशोधन : मूल नियमावलीको नियम १०३ को उपनियम (३) पछि देहायको उपनियम (४) थपिएको छ :-

“(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी कर्मचारी आतङ्ककारीबाट भएको आक्रमण वा विष्फोटन वा कुनै हतियारको प्रहारबाट वा आतङ्ककारी विरुद्धको प्रहरी कारवाहीमा खटिएको समयमा भीरु पहराबाट लडी वा कुनैपनि प्रकारको हतियारको चोटबाट वा कुनै आकस्मिक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गर्ने अवधि ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म निजको हकवालाले पूरा तलब पाउने छ। उक्त पूरा तलब पाउने अवधि व्यतित भएपछि मृतक प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि निवृत्तभरण पाक्ने अवधिभन्दा कम भएमा निवृत्तभरण पाकेको अवधि सरह र निवृत्तभरण पाक्ने अवधिभन्दा बढी सेवा अवधि भएमा सोही बमोजिम मृतक प्रहरी कर्मचारीको हकवालाले निवृत्तभरण पाउनेछ।”

५. मूल नियमावलीको नियम १०४ मा संशोधन : मूल नियमावलीको नियम १०४ को,-

- (१) उपनियम (३) मा रहेको स्पष्टीकरण खण्ड भिकिएको छ।
(२) उपनियम (३) पछि देहायको उपनियम (४), (५) र (६) थपिएका छन् :-

“(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी कर्मचारी आतङ्ककारीबाट भएको आक्रमण वा विष्फोटनबाट वा आतङ्ककारी विरुद्धको प्रहरी कारवाहीमा खटिईरहेको समयमा कुनै आकस्मिक दुर्घटनामा परी वा लडी वा कुनै पनि प्रकारको हतियारको चोटबाट प्रहरी सेवाको निमित्त काम गर्न अशक्त भएमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी सेवाबाट अवकाश दिईनेछ र निजले उमेरको हदले अवकाश प्राप्त गर्ने अवधि ननाघ्ने गरी ७ वर्षसम्म खाईपाई आएको पूरा तलब पाउनेछ। उक्त पूरा तलब पाउने अवधि व्यतित भएपछि निवृत्तभरण पाक्ने अवधि भन्दा कम सेवा अवधि भएका प्रहरी कर्मचारीले निवृत्तभरण पाकेको अवधि सरह र निवृत्तभरण पाक्ने अवधि भन्दा बढी सेवा अवधि भएका प्रहरी कर्मचारीले सोही बमोजिम निवृत्तभरण पाउनेछ।

- (५) प्रहरी कर्मचारीको अशक्तताको निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमका समितिहरु रहनेछन्:-

आधिकारिकता मूद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

खण्ड ५० संख्या १२ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५७।३।१९

(क) राजपत्राङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा,-

- | | |
|--|-----------|
| (१) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय | - अध्यक्ष |
| (२) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय | - सदस्य |
| (३) प्रतिनिधि, प्रहरी प्रधान कार्यालय | - सदस्य |
| (४) चिकित्सक प्रतिनिधि, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल | - सदस्य |

(ख) काठमाण्डौ उपत्यका स्थित कार्यालयहरुमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा,-

- | | |
|---|-----------|
| (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं | - अध्यक्ष |
| (२) प्रतिनिधि, उपत्यका प्रहरी कार्यालय | - सदस्य |
| (३) प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कोष निर्देशनालय मध्यमान्चल | - सदस्य |
| (४) चिकित्सक प्रतिनिधि, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल | - सदस्य |

(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा,-

- | | |
|--|-----------|
| (१) सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी | - अध्यक्ष |
| (२) सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (३) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | - सदस्य |
| (४) चिकित्सक प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र | - सदस्य |

(६) उपनियम (५) बमोजिम गठित समितिलाई कुनै प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा वा तालीम लिँदा दुर्घटना वा दैवी विपत्ति वा आक्रमण वा अन्य कुनै यस्तै प्रकारको घटनामा परी भएको हो वा होईन भन्ने र अशक्तताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने समेत अधिकार हुनेछ।”

आज्ञाने,

पदम प्रसाद पोखरेल

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

महालेखा परीक्षकको विभागको

सूचना

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०० को उपधारा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यका महालेखा परीक्षकले भन्सार विभागमा हाल प्रचलनमा रहेको म.ले.प.फा.नं.८९ को सट्टा देहाय बमोजिमको म.ले.प.फा.नं.८९ मिति २०५७ साल श्रावण १ देखि लागू गर्ने गरी तोक्नुका साथै हाल प्रचलनमा रहेको म.ले.प.फा.नं.९१ सोही मितिदेखि खारेज गर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

(४)

आधिकारिक मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

खण्ड ५० संख्या १२ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५७/३/१९

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| २ निर्यातकर्ता: | | नम्बर: | १. प्रज्ञापनपत्रको प्रकार | | भन्सार कार्यालय | | | |
| आयकर दर्ता/स्थायी लेखा नं. र मिति: | | अवधि | आयात | निर्यात | कोड नं.:- | | | |
| मु.अ.क.दर्ता नं. र मिति: | | | ३ पाना संख्या | ४ सि.टि.डि.नं. | नाम:- | | | |
| | | | ५ वस्तुको संख्या | ६ अदत | मैनिफेस्ट नं.:- | | | |
| | | | | | प्रज्ञापन दर्ता नम्बर | मिति | | |
| ८ आयातकर्ता: | | नम्बर: | ९ एयर बे. बिल नं./बिल अफ लेडिङ नं. र मिति:- | | | | | |
| आयकर दर्ता/स्थायी लेखा नं. र मिति: | | अवधि | डि. आर. पि. रेड सर्कल नं. र मिति:- | | | | | |
| मु.अ.क.दर्ता नं. र मिति: | | | ईन्भ्वाइस नं./डि.आर.पि. नं. र मिति:- | | | | | |
| | | | १० चलान गर्ने देश | ११ विक्री गर्ने देश | १२ मूल्य विवरण | १३ गोदाममा माल रहेको दिन | | |
| १४ भन्सार एजेन्ट/प्रतिनिधिको नम्बर: | | | १५ निर्यात गर्ने देश | १६ सामान बनेको देश | १७ निर्यात गर्ने देश | १८ सामान पुग्ने देशको संकेत | | |
| | | | | | क | ख | क | ख |
| | | | | | १९ सामान पुग्ने देशको नाम | | | |
| १८ ढुवानी/सवारी साधन नम्बर: | | १९ कन्टेनर | २० आपूर्तिको शर्त | | | | | |
| | | २१ | २२ मुद्रा र कूल विचक मूल्य | | २३ विनिमय दर | २४ कारोबारको प्रकृति | | |
| २५ भन्सार विन्दुमा ढुवानी साधनको प्रकार | | २६ | २७ सामान पुग्ने ठाउँ | | २८ बैंकिंग डाटा कोड: | | | |
| | | | | | भुक्तानीको शर्त: | | | |
| २९ | | ३० | | | बैंकको नाम: | | | |
| | | | | | शाखा: | | | |
| ३१ अदत: | | | ३२ आइएम नं. | | ३३ वस्तु वर्गीकरण नं (संकेत नं.) | | | |
| प्रकार | | | | | | | | |
| सामानको नाम | | | ३४ सामान बनेको देश | | ३५ कूल तौल | ३६ सौविध्यता | | |
| | | | क | | ख | | | |
| | | | ३७ भन्सार प्रकृया | | ३८ खुद तौल | ३९ भारतीय अन्तःशुल्क दर | | |
| | | | | | ४० भारतीय अन्तःशुल्क रकम:- | | | |
| | | | ४१ सामानको परिमाण | | ४२ सामानको मूल्य | ४३ मूल्यकन पद्धति कोड | | |
| ४४ अन्य सूचना कागजात प्रमाण | | ईजाजत पत्र नं.: | पटके मूल्य: | पटके परिमाण | अतिरिक्त सूचना कोड | | | |
| | | | | | ४५ समायोजन | | | |
| ४७ महसूलको हिसाब | | सम्बद्ध कागजात वा नं.: | चलानी नं. र मिति: | प्रतीपत्र नं. र मिति: | ४६ भन्सार महसूलको लागि कयम मूल्य र. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | करको प्रकार | महसूल लाग्ने मूल्य/आधार | दर | रकम | भुक्तानी | ४८ अग्रिम भुक्तानीको संकेत नं. | |
| | | | | | | | ४९ गोदाम नम्बर | |
| | | | | | | | लेखा विवरण | |
| | | | | | | | भुक्तानीको प्रकार | |
| | | | | | | | महसूल निर्धारण नं. | |
| | | | | | | | रसीद नम्बर | |
| | | | | | | | मिति: | |
| | | | | | | | मिति: | |
| | | | | | | | मिति: | |
| | | | | | | | प्रज्ञापनपत्र शुल्क | |
| | | | | | | | कूल महसूल | |
| | | | | | | | अक्षरेपी | |
| | | | | | | | यस पानाको जम्मा: | |
| | | | | | | | ५० (क) मालधनीले घोषणा गर्दा खुलाउनु पर्ने केही भए:- | |
| | | | | | | | ५० (ख) यस घोषणा र संलग्न कागजातमा उल्लेखित विवरण ठीक साँचो हो सो विवरण भुट्टा वा फरक पारी लेखिएको ठहरिएमा मैले सजायको भागी बन्नु पर्दछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भनी सही गर्ने मालधनी वा वारेसको:- | |
| | | | | | | | दस्तखत:- | |
| | | | | | | | मिति:- | |
| | | | | | | | नाम:- | |
| | | | | | | | ठेगाना:- | |
| | | | | | | | ५० ग) कार्यालय प्रयोजनको लागि भौतिक निरीक्षणको परिणाम: | |
| | | | | | | | कैफियत: | |

प्रविष्टकर्ताको दस्तखत र मिति:-
नाम:-

जाँचकीको दस्तखत र मिति:-
नाम:-

भन्सार अधिकृतको दस्तखत र मिति:-
नाम:-

(५)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

